न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–65/17–18

नागेश्वर यादव वगै0 बनाम मो0 असलम वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
22/2/23	आवेदक नागेश्वर यादव, पिता–स्व0 चमारी यादव, रघुनन्दन यादव, पिता–स्व0 चमारी यादव, जगदेव यादव, पिता–स्व0 अकलु यादव, एवं मोहन यादव, पिता–स्व0 अकलु यादव के द्वारा अंचल अधिकारी, हंटरगंज के वाद 09/2009–10 में दिनांक–18.11.2009 को पारित आदेश के आवेदन दायर किया गया है। तत्पश्चात् यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि–**"यह है कि मौजा–धरधारी, थाना–वशिष्टनगर अंचल–हंटरगंज, जिला–चतरा के खाता संख्या–01 एवं 12 सर्वे खयितान में पिछली सर्वे के दौरान दासु गोवाला, सुखलाल गोवाला, नेमधारी गोवाला सभी के पिता–भिखन गोवाला तथा जानकी गोवाला, पिता–गोतिन गोवाला के नाम से बराबर हिस्सा दर्ज है। यह है कि खाता संख्या–01, कुल प्लॉटों की संख्या–06 कुल रकवा–6.99 एकड़ है एवं सर्वे खतियान में प्लॉट संख्या–183 मकान सहन–1 दर्ज है तथा एक प्लॉट नष्ट हो जाने के कारण संख्या एवं रकवा अंकित नहीं है। यह है कि खाता संख्या–12 कुल प्लॉटों की संख्या–07 कुल रकवा–9.21 एकड़ भूमि है। यह है कि दोनों खाता की	

भूमि मौजा–घटधारी, थाना संख्या–275, अंचल –हण्टरगंज, जिला–चतरा में स्थित है। यह है कि सर्वे खतियानी रैयत अपने पुरी जीवन काल में उक्त खाते की भूमि पर फसल उगाकर दखल कब्जा में रहे है। उनके मृत्यु के पश्चात् उनके वंशज उक्त भूमि पर दखलकार रहे है। यह है कि सर्वे रैयत जानकी यादव नावल्द मृत हो गये। यह है कि सर्वे रैयत का वंशावली इस अपील आवेदन के साथ संलग्न है, जिसे इस अपील आवेदन का भाग माना जायेगा। यह है कि सर्वे रैयत एवं उनके वारिसान के द्वारा कभी भी प्रश्नगत भूमि को छोड़ा अथवा समर्पित नहीं किया गया है। यह है कि उक्त भूमि का कभी भी निलामी नहीं हुआ है। यह है कि सर्वे रैयत अथवा सर्वे रैयत के वंशज के द्वारा कभी भी विपक्षी के पूर्वजों को बिक्री नहीं किया गया है। यह है कि राजा रामगढ़ राज का कभी इस भूमि पर अधिकार नहीं था। यह है कि अपीलार्थी के पूर्वज अशिक्षित थे जिसके कारण कभी राजस्व रसीद निर्गत कराने में सफल नहीं हो सके परन्तु भूमि पर हमेशा ही दखलकार रहे है। यह है कि Aslami Bahnd एवं करीम के आवेदन के आधार पर संदेहात्मक जमाबंदी वाद संख्या–09/2009–10 प्रारम्भ किया गया। यह है कि नागेश्वर यादव एवं अन्य के द्वारा यह कहते हुए आपति दर्ज किया गया कि उक्त भूमि उनके पूर्वज का रैयती भूमि है। इसक बावजुद भी अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा बकाया लगान लेकर रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किया गया तथा आपतिकर्ता का आपति आवेदन को खारिज कर दिया गया इसलिए 18.11.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है। यह है कि आदेश दिनांक–18.11.2009 के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा किसी दुसरे न्यायलय में अपील या रिवीजन वाद दायर नहीं किया गया है। समय अवधि क्षांत करने से संबंधित धारा 5 के अंतर्गत अलग से आवेदन दाखिल किया गया है। यह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा पारित आदेश नियम विरूद्ध है तथा खारिज करने के योग्य है। यह है

कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज को यह ध्यान देना चाहिए था कि रैयती भूमि का हुकुमनामा नहीं दिया जा सकता है। यह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज को अवैध जमाबंदी को रद्द कर देना चाहिए था। यह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज को ध्यान देना चाहिए था कि हुकुमनामा के आधार पर अधिकार बनता है। यह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज को विपक्षी के पूर्वज के नाम से चल रहे जमाबंद को जारी रखने का आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। यह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज को यह देखना चाहिए था कि विपक्षी या उनके पूर्वज खाता संख्या–01 एवं 12 के भूमि पर कभी दखल कब्जा में नहीं रहे है। यह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा गलत तरीके से यह कहा गया है कि मो0 असलम एवं अन्य का खाता संख्या–01 एवं 12 की भूमि पर दखल कब्जा है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, हंटरगंज का संदेहात्मक जमाबंदी वाद संख्या–09/2009–10 में पारित आदेश दिनांक–18.04.2009 को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–" यह वर्तमान अंचल अधिकारी, हंटरगंज का आदेश दिनांक–18.11.2009 के विरूद्ध दायर अपील वाद पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने के योग्य है। लिमिटेशन एक्ट के प्रवाधान के विरूद्ध बिना किसी वैध कारण के 9 वर्ष के बाद यह अपील वाद दायर किया गया है, जो खारिज करने के योग्य है। यह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा दिनांक–18.11.2009 को पारित आदेश अवधारणा पर आधारित नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोप निरस्त करने के योग्य है। अपीलार्थी द्वारा दायर अपील वाद खारिज करने के योग्य है। अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया अपील आवेदन पुरी तरह से गलत एवं बनावटी तथ्य के आधार पर दाखिल किया गया है। यह है कि लम्बे समय से कायम जमाबंदी

संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से रद्द नहीं किया जा सकता है। यह है कि अपीलार्थी के द्वारा खतियान रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा किया जा रहा है जिसे द्वितीय पक्ष के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। यह है कि अपीलार्थी का अधिकार एवं स्वत्व का निर्धारण सिर्फ सिविल कोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। भवदीय के न्यायालय को इसका अधिकार नहीं है। यह है कि वर्तमान अपील वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि संबंधित अपीलार्थीगण सर्वे खतियानी रैयत से संबंधित नहीं है बल्कि वे बाहरी व्यक्ति है जो सर्वे खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा करते है। यह है कि सर्वे खतियानी रैयत दासु गोवाला, नेमधारी गोवाला पिता–भीखन गोवाला तथा जानकी गोवाला पिता–गोतिन गोवाला से अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का संबंध/रिश्ता नहीं है। यह है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान रैयत के द्वारा छोड़ दिया गया था उसके बाद भूमि पूर्व जमीन्दार दखल कब्जा में आ गया था। यह है कि ग्राम–घटधारी का सुपिरियर जमीन्दार रामगढ़ राज था। पे रोल शेस नहीं जमा करने के कारण खेवटदार धरम भोक्ता का खेवट अधिकार वापस ले लिया गया इस प्रकार ग्राम–घाटधारी के खाता संख्या–01 एवं 12 की भूमि रामगढ़ राज के नियंत्रण आ गया। यह है कि विपक्षी कारू मियॉ पिता–खुदबक्स मियॉ के दादा छोटे किसान थे इसलिए मौजा–घटधारी खाता संख्या–12 एवं 21 के रकवा–23.42 एकड़ भूमि बंदोबस्त करने हेतु रामगढ़ राज के पूर्व जमीन्दार से अनुरोध किया गया है। पूर्व जमीन्दार द्वारा अमीन प्रतिनियुक्त कर अमीन फर्द रिर्पाट तैयार किया गया। राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के आदेश से मैनेजर के द्वारा कारू मियॉ के पक्ष में 23.42 एकड़ भूमि चौहद्दी के साथ दिनांक–07.05.1933 को हुकुमनामा निर्गत किया गया। दिनांक–28.02.1933 को सलामी के रूप में 501 रू0 प्राप्त कर कारू मियॉ के नाम से भूमि बंदोबस्त किया गया। यह है कि कारू मियॉ के नाम से जमीन्दार के

सिरिस्ता में दर्ज होकर जमाबंदी कायम हुआ। बंदोबस्त भूमि जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किया गया। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत् 23.42 एकड़ भूमि का जमाबंदी पंजी 2 में कायम हुआ। सरकार को लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किया गया। यह है कि कारू मियॉ के द्वारा बंदोबस्त भूमि से खाता संख्या–12, प्लॉट संख्या–61, रकवा–23.43 एकड़ मधे रकवा–1.66 एकड़ भूमि निबंधित सेल डीड के माध्यम से हीरालाल महतो को बेच दिया गया। यह है कि कारू मियॉ के मृत्यु के बाद उनके एक लौते पुत्र मो0 समसुद्दीन अपने पिता के बंदोबस्त भूमि पर दखलकार होकर धान, मक्का, गेहूँ, आलू एव अरहर उगाकर उपभोग में लाए सरकार को लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किया गया। समसुद्दीन मियॉ अपने तीन पुत्र मो0 असलम, मो0 बदुद एवं मो0 कारी को छोड़कर मृत हो गए। उनके तीन पुत्र संयुक्त रूप से प्रश्नगत् भूमि पर दखलकार होकर रसीद निर्गत कराते रहे हैं। यह है कि विपक्षी मो0 असलम एवं मो बदुद के द्वारा अंचल अधिकारी, हंटरंगज के समक्ष बकाया लगान लेकर रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसके क्रम में संदेहात्मक जमाबंदी वाद संख्या–09/2009–10 संधारित कर कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। यह है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अंचल अधिकारी, हंटरगंज के समक्ष जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉचप्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि पर आवेदकगण का दखल कब्जा को बताया गया है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखित किया गया है कि द्वितीय पक्ष का लगातार जमाबंदी चल रहा है। यह है कि सी0एन0टी0 एक्ट 1908 की धारा 17, 16, 2, 3, 45, 6, 19 एवं 21 के तहत् जो व्यक्ति भूमि पर पुरी तरह या आंशिक रूप से 12 वर्षो से काबिज है तो रैयत के रूप में मान्य होता है। यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय में पारित आदेश J.C.R. & 30 J.H.R (2006 (3) के आधार पर दावा करते

रिस्ता में दर्ज होकर जमाबंदी कायम हुआ। बंदोबस्त भूमि जमीन्दार को गान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किया गया। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत् 23.42 एकड़ भूमि का जमाबंदी पंजी 2 में कायम हुआ। सरकार को लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किया गया। यह है कि कारू मियॉ के द्वारा बंदोबस्त भूमि से खाता संख्या–12, प्लॉट संख्या–61, रकवा–23.43 एकड़ मधे रकवा–1.66 एकड़ भूमि निबंधित सेल डीड के माध्यम से हीरालाल महतो को बेच दिया गया। यह है कि कारू मियॉ के मृत्यु के बाद उनके एक लौते पुत्र मो0 समसुद्दीन अपने पिता के बंदोबस्त भूमि पर दखलकार होकर धान, मक्का, गेहूँ, आलू एव अरहर उगाकर उपभोग में लाए सरकार को लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किया गया। समसुद्दीन मियॉ अपने तीन पुत्र मो0 असलम, मो0 बदुद एवं मो0 कारी को छोड़कर मृत हो गए। उनके तीन पुत्र संयुक्त रूप से प्रश्नगत् भूमि पर दखलकार होकर रसीद निर्गत कराते रहे हैं। यह है कि विपक्षी मो0 असलम एवं मो बदुद के द्वारा अंचल अधिकारी, हंटरंगज के समक्ष बकाया लगान लेकर रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसके क्रम में संदेहात्मक जमाबंदी वाद संख्या–09/2009–10 संधारित कर कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। यह है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अंचल अधिकारी, हंटरगंज के समक्ष जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉचप्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि पर आवेदकगण का दखल कब्जा को बताया गया है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखित किया गया है कि द्वितीय पक्ष का लगातार जमाबंदी चल रहा है। यह है कि सी0एन0टी0 एक्ट 1908 की धारा 17, 16, 2, 3, 45, 6, 19 एवं 21 के तहत् जो व्यक्ति भूमि पर पुरी तरह या आंशिक रूप से 12 वर्षो से काबिज है तो रैयत के रूप में मान्य होता है। यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय में पारित आदेश J.C.R. & 30 J.H.R (2006 (3) के आधार पर दावा करते

है कि सी0एन0टी0 एक्ट के तहत् भूमि पर 12 वर्षो से अधिक काबिज रहने के बाद कायम जमाबंदी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति से कई वर्षो के लिए लगान प्राप्त किया गया है तो हरिहर सिंह बनाम बिहार राज्य पारित आदेश के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को जमाबंदी रद्द करने तथा Tenants register से नाम हटाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।'' द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा पारित आदेश को जारी रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

अचंल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा अपने आदेष पत्रक में उल्लेखित किया है कि–आवेदकगण असलम, बदुद, एवं करीम ग्राम–धरधारी के आवेदन पर ह0 रा0 कर्म0/अ0नि0 से राजस्व प्रतिवेदन की मांग की गई। हल्का राजस्व कर्मचारी का सन्देहात्मक एवं आपति राजस्व प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। राजस्व प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि:–
पंजी 2 के अुनसार ग्राम–घटधारी

रैयत का नाम	पिता/पति	पेज	खाता	रकवा	बिक्री
बतुलनी भूइनी		14/1	30/33	3.08	–
बीबी सकीना	कारू मियॉ	18/1	7, 20	7.87	1.98
कारू मियॉ	खोदा बक्स मियॉ	22/1	12	9.27	1.72
कारू मियॉ	खोदा बक्स मियॉ	26/1	9	10.06	–
समसुद्दीन मियॉ	कारू मियॉ	28/1,	22, 23, 21, 24	15.69	3.93
कारू मियॉ		32/1	30	15.39	
			कुल–	**61.30**	**7.63**

कुल रकवा–61.30 में बिक्री के बाद शेष रकवा–53.67 एकड़ आवेदक के दादा वगै0 को भूमि खाता संख्या–29, 27, 30, 7, 20, 01, 12, 9, 21, 22, 23, 24 बजरिये केवाला एवं हुकुमनामा बन्दोबस्ती से हासिल है जो

निम्न प्रकार है:— बन्दोबसती हुकुमनामा से एवं खाता संख्या—92, 13 रकवा—3.22 एकड़ शेष रकवा का जमीन बजरिये केवाला से हासिल है जिसको सरकारी रसीद वर्ष 2000—01 तक निर्गत है। लगान पंजी 2 में तत्कालिन अंचल अधिकारी द्वारा स्थगित है। आपति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि सर्वे खतियान के अनुसार खाता संख्या—29, 27, 30, 7, 20, 01, 12, 9, 21, 22, 23, 24 रैयती खाती की भूमि प्रतिवेदित है। खाता संख्या—1, 12 पर नागेश्वर महतो वगै0 है। आवेदकगण सर्वे खतियान के आधार पर वर्तमान वंशज आवेदक सरकारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। ह0 रा0 कर्म0 अपने मंतव्य में कहा है कि—सम्पूर्ण भूमि लगभाग 53.67 एकड़ भूमि पर कारू मियॉ के वंशजों का दखल कब्जा है। पंजी 2 में सर्वे रैयत का नाम से रसीद निर्गत नहीं है। बकाया लगान वसुल करने हेतु उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अंचल निरीक्षक अपने राजस्व प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि :— संक्षेप में भूमि बिक्री के पश्चात् 53.67 एकड़ भूमि पर कारू मियॉ एवं उनके उतराधिकारियों का दखल कब्जा आज जक चला आ रहै है। नागेश्वर महतो के द्वारा दिया गया आपति निराधार लगता है। उत्तराधिकारियों के नाम से चल रही जमाबंदी जिस पर पृ0 सं0 14/1, 18/1, 22/1, 26/1, 28/1 को बकाया लगान वसुलने की कार्रवाई की जा सकती है। ह0 रा0 कर्म0 निर्मल टोपनो एवं0 प्र0 अ0 नि0 उपेन्द्र शुक्ला का राजस्व प्रतिवेदन इस अभिलेख में संलग्न है। ह0 रा0 कर्म0 द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन किया। कागजातों को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि:— आवेदक के दादा वगै0 को पूर्व जमीन्दार राजा रामगढ़ ने भूमि का नावल्द घोषित कर कारू मियॉ के नाम से हुकुमनामा के बन्दोबस्ती की जमीन्दारी के समय से जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् सरकारी रसीद भी वर्ष 2001 तक निर्गत की गई है। सर्वे खतियानी रैयत के वंशज आपतिकर्ता नागेश्वर महतो वगै0 का आपति केवल खाता संख्या—12 एवं खाता संख्या 1

पर है जिसका कुल रकवा–9.41 एकड़ भूमि है। केवल खाता संख्या–12 रकवा–9.21 एकड़ भूमि आपति के अनुकूल कारू मियॉ पिता खुदा बक्स मियॉ को भूतपूर्व जमीन्दार रामगढ़ से प्राप्त है। अतः ह0 रा0 कर्म0/अं0 नि0 के प्रतिवेदनानुसार ग्राम–घटधारी जमाबंदी पंजी 2 पृष्ट संख्या–41/1, 18/1, 22/1, 26/1 एवं 28/1 का बकाया लगान वसूल करने की स्वीकृति दी जाती है। ह0 रा0 कर्म0 को आदेश निर्गत करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन की मांग कर लें। आपतिकर्ता सक्षम न्यायालय जाने हेतु सक्षम है।''

अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि– ''पंजी 2 के अनुसार ग्राम–घटधारी

रैयत का नाम	पिता/पति	पेज	खाता	रकवा	बिक्री
बतुलनी भूइनी		14/1	30/33	3.08	–
बीबी सकीना	कारू मियॉ	18/1	7, 20	7.87	1.98
कारू मियॉ	खोदा बक्स मियॉ	22/1	12	9.27	1.72
कारू मियॉ	खोदा बक्स मियॉ	26/1	9	10.06	–
समसुद्दीन मियॉ	कारू मियॉ	28/1,	22, 23, 21, 24	15.69	3.93
कारू मियॉ		32/1	30	15.39	
			कुल–	**61.30**	**7.63**

कुल बिक्री के बाद रकवा 53.67 एकड़ है।

आवेदक के दादा वगै0 को भूमि खाता संख्या–29, 27, 30, 7, 20, 01, 12, 09, 21, 22, 23, 24 बंदोबस्ती हुकुमनामा से एवं खाता संख्या–92, 13 रकवा–3.22 एकड़ भूमि वजरिये केवाला संख्या–1607, दिनांक–30.03.

1972 से हासिल है। जिसकी सरकारी रसीद 2000–01 तक निर्गत है। तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी स्थगित कर दी गई है। सर्वे खतियान के अनुसार खाता संख्या–29, 27, 07, 20, 01, 12, 09, 21, 22, 23, 24 रैयती खाते की भूमि है। खाता संख्या–01, 12 पर नागेश्वर महतो वगै0 ने सर्वे वंशज के आधार पर रसीद निर्गत करने का आवेदन दिया है। भूमि पर लगभग 53.67 एकड़ भूमि पर कारू मियां के वंशजों का दखल कब्जा है। पंजी–2 पर सर्वे रैयत के नाम रसीद निर्गत नहीं है। अतः बकाया लगान वसूल करने हेतु उचित कार्रवाई की जा सकती है।''

अंचल निरीक्षक ने उल्लेखित किया है कि–'' आवेदक मो0 असलम, मो0 बदुद, मो0 करीम, पिता–स्व0 समसुद्दीन मियां, सा0–घटधारी के आवेदन पत्र एवं राजस्व कर्मचारी के आवेदन पत्र का अवलोकन किया। राजस्व कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रस्तावित भूमि खाता संख्या–29, 27, 07, 20, 01, 12, 21, 22, 23, 24 रैयती खाते की भूमि है एवं खाता संख्या–30 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। सभी खाते की रसीद आवेदकों के दादा एवं परदादा एवं दादी के नाम से निर्गत की जा रही है। वर्ष 2000–01 तक निर्गत की गई है। पूर्व अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा जमाबंदी स्थगित की गई है जो पंजी–2 में अंकित है। कर्मचारी ने यह भी प्रतिवेदित किये है कि उक्त भूमि 61.30 एकड़ मे से 7.63 एकड़ जमाबंदी रैयत के द्वारा पूर्व में बिक्री किया गया है जिसका रसीद क्रेता के नाम से निर्गत की जा रही है। आपतिकर्त्ता नागेश्वर महतो ने आपति दी है कि खाता संख्या 12 हमारे पूर्वजों के नाम से रैयती है एवं मोहित यादव ने भी खाता संख्या–25 के बारे में आपति दी है कि उक्त भूमि हमारे पूर्वजों के नाम से रैयती है। खाता संख्या–25 का रसीद कारू मियां वगैरह के नाम से निर्गत नहीं की जा रही है। अतः मोहित यादव का आपति निराधार है। रह गई नागेश्वर महतो वगैरह के खाता संख्या 01 एवं 12 का तो खाता

संख्या–01 का रसीद भी कारू मियां वगैरह के नाम से निर्गत नहीं की गई है। सिर्फ खाता संख्या–12 रकवा 9.22 एकड़ भूमि कारू मियां, पिता–खुदावक्स मियां को भूतपूर्व जमीन्दार रामगढ़ राज ने उक्त भूमि का नावल्द घोषित कर कारू मियां के नाम से हुकुमनामा के द्वारा बंदोबस्त कर जमीन्दारी के समय जमीन्दारी रसीद निर्गत की गई है। जमीन्दारी उन्मुलन के पश्चात् सरकारी रसीद भी वर्ष 2000–01 तक निर्गत की गई है। खाता संख्या–12 के अन्तर्गत 1.72 एकड़ भूमि कारू मियां के द्वारा बिक्री किया एवं क्रेता के नाम से रसीद निर्गत किया गया। उस समय खतियानी रैयत नागेश्वर महतो को आपति देनी चाहिए थी परन्तु आपति नहीं दी गई। कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री के पश्चात् 53.67 एकड़ भूमि पर कारू मियां एवं उनके उत्तराधिकारियों का दखल कब्जा आज तक चला आ रहा है। नागेश्वर महतो के द्वारा दिया गया आपति निराधार लगता है। अतः कारू मियां के उत्तराधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत कागजात की छायाप्रति एवं राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कारू मियां एवं उनके उतराधिकारियों के नाम से चल रही जमाबंदी जिसका पृष्ठ संख्या–14/1, 18/1, 22/1, 26/1, 28/1 को बकाया लगान वसूल करने की कार्रवाई की जा सकती है एवं आपतिकर्त्ता नागेश्वर महतो वगैरह का आपति हो तो न्यायालय के शरण ले सकते है।

उपरोक्त संबंधित पक्षों द्वारा समर्पित लिखित कथन, कागजातो एवं अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त संबंधित मूल अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर निम्नांकित तथ्य परिलक्षित होते है :–

1. रैतयी भूमि का मामला।
2. गैरमजरूआ खास खाते की भूमि का मामला।
3. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा।
4. द्वितीय पक्ष के द्वारा हुकुमनामा से भूमि प्राप्त होने का दावा

5. द्वितीय पक्ष के पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम होना।

6. खाता संख्या–1 अंतर्गत उभय पक्षों का जमाबंदी कायम नहीं है।

1. रैयती भूमि का मामला :– अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त मूल निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में अंकित है कि– "सर्वे खतियान के अनुसार खाता संख्या–29, 27, 07, 20, 01, 12, 09, 21, 22, 23, 24 **रैयती खाते की भूमि है।**"

2. गैरमजरूआ खास खाते की भूमि का मामला :– **अंचल निरीक्षक ने उल्लेखित किया है कि**–" आवेदक मो0 असलम, मो0 बदुद, मो0 करीम, पिता–स्व0 समसुद्दीन मियां, सा0–घटधारी के आवेदन पत्र एवं राजस्व कर्मचारी के आवेदन पत्र का अवलोकन किया। राजस्व कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रस्तावित भूमि खाता संख्या–29, 27, 07, 20, 01, 12, 21, 22, 23, 24 रैयती खाते की भूमि है एवं **खाता संख्या–30 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।**

3. **प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा** :– प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित अभिकथन में उल्लेखित किया है कि–"यह है कि मौजा–घटधारी, थाना–वशिष्टनगर अंचल–हंटरगंज, जिला–चतरा के **खाता संख्या–01 एवं 12 सर्वे खयितान में पिछली सर्वे के दौरान दासु गोवाला, सुखलाल गोवाला, नेमधारी गोवाला सभी के पिता–भिखन गोवाला तथा जानकी गोवाला, पिता–गोतिन गोवाला के नाम से बराबर हिस्सा दर्ज है।** यह है कि खाता संख्या–01, कुल प्लॉटों की संख्या–06 कुल रकवा–6.99 एकड़ है एवं सर्वे खतियान में प्लॉट संख्या–183 मकान सहन–1 दर्ज है तथा एक प्लॉट नष्ट हो जाने के कारण संख्या एवं रकवा अंकित नहीं है। यह है कि खाता संख्या–12 कुल प्लॉटों की संख्या–07 कुल रकवा–9.21 एकड़ भूमि है। यह है कि दोनों खाता की भूमि

मौजा–घटधारी, थाना संख्या–275, अंचल –हण्टरगंज, जिला–चतरा में स्थित है। **यह है कि सर्वे खतियानी रैयत अपने पुरी जीवन काल में उक्त खाते की भूमि पर फसल उगाकर दखल कब्जा में रहे है। उनके मृत्यु के पश्चात् उनके वंशज उक्त भूमि पर दखलकार रहे है।** यह है कि सर्वे रैयत जानकी यादव नावल्द मृत हो गये। यह है कि सर्वे रैयत का वंशावली इस अपील आवेदन के साथ संलग्न है, जिसे इस अपील आवेदन का भाग माना जायेगा। यह है कि सर्वे रैयत एवं उनके वारिसान के द्वारा कभी भी प्रश्नगत भूमि को छोड़ा अथवा समर्पित नहीं किया गया है। यह है कि उक्त भूमि का कभी भी निलामी नहीं हुआ है। यह है कि सर्वे रैयत अथवा सर्वे रैयत के वंशज के द्वारा कभी भी विपक्षी के पूर्वजों को बिक्री नहीं किया गया है। यह है कि राजा रामगढ़ राज का कभी इस भूमि पर अधिकार नहीं था। यह है कि अपीलार्थी के पूर्वज अशिक्षित थे जिसके कारण कभी राजस्व रसीद निर्गत कराने में सफल नहीं हो सके परन्तु भूमि पर हमेशा ही दखलकार रहे है।"

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि–"यह है कि वर्तमान अपील वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि **संबंधित अपीलार्थीगण सर्वे खतियानी रैयत से संबंधित नहीं है बल्कि वे बाहरी व्यक्ति है जो सर्वे खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा करते है।** यह है कि सर्वे खतियानी रैयत दासु गोवाला, नेमधारी गोवाला पिता–भीखन गोवाला तथा जानकी गोवाला पिता–गोतिन गोवाला से अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का संबंध/रिश्ता नहीं है। यह है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान रैयत के द्वारा छोड़ दिया गया था उसके बाद भूमि पूर्व जमीन्दार दखल कब्जा में आ गया था।"

4. <u>द्वितीय पक्ष के द्वारा हुकुमनामा से भूमि प्राप्त होने का दावा :–</u> अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त मूल निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में अंकित है कि–"आवेदक के दादा वगै0 को

भूमि खाता संख्या–29, 27, 30, 7, 20, **01, 12,** 09, 21, 22, 23, 24 **बंदोबस्ती हुकुमनामा** से एवं खाता संख्या–92, 13 रकवा–3.22 एकड़ भूमि वजरिये केवाला संख्या–1607, दिनांक–30.03.1972 से हासिल है।'' **द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि**–''यह है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान रैयत के द्वारा छोड़ दिया गया था उसके बाद भूमि पूर्व जमीन्दार दखल कब्जा में आ गया था। यह है कि ग्राम–घटधारी का सुपिरियर जमीन्दार रामगढ़ राज था। पे रोल शेस नहीं जमा करने के कारण खेवटदार धरम भोक्ता का खेवट अधिकार वापस ले लिया गया इस प्रकार ग्राम–घाटधारी के खाता संख्या–01 एवं 12 की भूमि रामगढ़ राज के नियंत्रण आ गया। यह है कि विपक्षी कारू मियॉ पिता–खुदबक्स मियॉ के दादा छोटे किसान थे इसलिए मौजा–घटधारी खाता संख्या–12 एवं 21 के रकवा–23.42 एकड़ भूमि बंदोबस्त करने हेतु रामगढ़ राज के पूर्व जमीन्दार से अनुरोध किया गया है। पूर्व जमीन्दार द्वारा अमीन प्रतिनियुक्त कर अमीन फर्द रिर्पाट तैयार किया गया। राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के आदेश से मैनेजर के द्वारा कारू मियॉ के पक्ष में 23.42 एकड़ भूमि चौहद्दी के साथ दिनांक–07.05.1933 को हुकुमनामा निर्गत किया गया। दिनांक–28.02.1933 को सलामी के रूप में 501 रू0 प्राप्त कर कारू मियॉ के नाम से भूमि बंदोबस्त किया गया। यह है कि कारू मियॉ के नाम से जमीन्दार के सिरिस्ता में दर्ज होकर जमाबंदी कायम हुआ। बंदोबस्त भूमि जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किया गया। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत् 23.42 एकड़ भूमि का जमाबंदी पंजी 2 में कायम हुआ। सरकार को लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किया गया। यह है कि कारू मियॉ के द्वारा बंदोबस्त भूमि से खाता संख्या–12, प्लॉट संख्या–61, रकवा–23.43 एकड़ मधे रकवा–1.66 एकड़ भूमि निबंधित सेल डीड के माध्यम से हीरालाल महतो को बेच दिया गया। यह है कि

कारू मियॉ के मृत्यु के बाद उनके एकलौते पुत्र मो0 समसुद्दीन अपने पिता के बंदोबस्त भूमि पर दखलकार होकर धान, मक्का, गेहूँ, आलू एव अरहर उगाकर उपभोग में लाए सरकार को लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किया गया। समसुद्दीन मियॉ अपने तीन पुत्र मो0 असलम, मो0 बदुद एवं मो0 कारी को छोड़कर मृत हो गए। उनके तीन पुत्र संयुक्त रूप से प्रश्नगत भूमि पर दखलकार होकर रसीद निर्गत कराते रहे हैं।''

5. द्वितीय पक्ष के पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम होना :– अचंल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा अपने आदेष पत्रक में उल्लेखित किया है कि–आवेदकगण असलम, बदुद, एवं करीम ग्राम–घटधारी के आवेदन पर ह0 रा0 कर्म0/अ0नि0 से राजस्व प्रतिवेदन की मांग की गई। हल्का राजस्व कर्मचारी का सन्देहात्मक एवं आपति राजस्व प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। राजस्व प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि:– पंजी 2 के अुनसार ग्राम–घटधारी

रैयत का नाम	पिता/पति	पेज	खाता	रकवा	बिक्री
बतुलनी भूइनी		14/1	30/33	3.08	–
बीबी सकीना	कारू मियॉ	18/1	7, 20	7.87	1.98
कारू मियॉ	खोदा बक्स मियॉ	22/1	12	9.27	1.72
कारू मियॉ	खोदा बक्स मियॉ	26/1	9	10.06	–
समसुद्दीन मियॉ	कारू मियॉ	28/1,	22, 23, 21, 24	15.69	3.93
कारू मियॉ		32/1	30	15.39	
			कुल–	**61.30**	**7.63**

उपरोक्त पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 14/1, 18/1, 22/1, 26/1 एवं 28/1 पर कायम जमाबंदी का बकाया लगान लेकर रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा स्वीकृति दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है।

6. **खाता संख्या–1 अंतर्गत उभय पक्षों का जमाबंदी कायम नहीं है:–**
अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया है कि–नागेश्वर महतो के द्वारा दिया गया आपति निराधार लगता है। अतः कारू मियां के उत्तराधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत कागजात की छायाप्रति एवं राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कारू मियां एवं उनके उतराधिकारियों के नाम से चल रही जमाबंदी जिसका पृष्ठ संख्या–14/1, 18/1, 22/1, 26/1, 28/1 को बकाया लगान वसूल करने की कार्रवाई की जा सकती है एवं आपतिकर्त्ता नागेश्वर महतो वगैरह का आपति हो तो न्यायालय के शरण ले सकते है।'' राजस्व कर्मचारी के जॉच प्रतिवेदन से पता चलता है कि पृष्ठ सख्या–14/1, 18/1, 22/1, 26/1 एवं 28/1 क्रमशः खाता संख्या–30/33, (7, 20), 12, 9 (22, 23, 21, 24) से संबंधित हैं। अंचल निरीक्षक ने अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि–''रह गई नागेश्वर महतो वगैरह के खाता संख्या 01 एवं 12 का तो खाता संख्या–01 का रसीद भी कारू मियां वगैरह के नाम से निर्गत नहीं की गई है। सिर्फ खाता संख्या–12 रकवा 9.22 एकड़ भूमि कारू मियां, पिता–खुदावक्स मियां को भूतपूर्व जमीन्दार रामगढ़ राज ने उक्त भूमि का नावल्द घोषित कर कारू मियां के नाम से हुकुमनामा के द्वारा बंदोबस्त कर जमीन्दारी के समय जमीन्दारी रसीद निर्गत की गई है। जमीन्दारी उन्मुलन के पश्चात् सरकारी रसीद भी वर्ष 2000–01 तक निर्गत की गई है। खाता संख्या–12 के अन्तर्गत 1.72 एकड़ भूमि कारू मियां के द्वारा बिक्री किया एवं क्रेता के नाम से रसीद निर्गत किया गया। उस समय खतियानी रैयत नागेश्वर महतो को आपति देनी चाहिए थी परन्तु आपति नहीं दी गई। कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री के पश्चात् 53.67 एकड़ भूमि पर कारू मियां एवं उनके उत्तराधिकारियों का दखल कब्जा आज तक चला आ रहा है। नागेश्वर महतो के द्वारा दिया गया आपति निराधार लगता

है।" अपीलार्थी के अपील आवेदन में खाता संख्या–01 का भी उल्लेख किया गया है, अंचल अधिकारी, हंटरगंज के आदेश में खाता सख्या–01 के संबंध में कही भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। साथ ही साथ द्वितीय पक्ष के द्वारा खाता संख्या–1 एवं 12 अन्य खाता सहित हुकुमनामा के आधार पर दावा किया जा रहा है। अर्थात् दोनों पक्षों के द्वारा खाता संख्या–1 पर भी दावा किया जा रहा है, जो इस वाद में एक महत्वपूर्ण बिन्दु हैं।

इस वाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो विचारणीय है।

1. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर खाता संख्या–01 एवं 12 पर दावा करते हुए जमाबंदी कायम करने हेतु अनुरोध किया है।
2. द्वितीय पक्ष का खाता संख्या–30/33, (7, 20), 12, 9, (22, 23, 21, 24) एवं 30 का जमाबंदी कायम है। जिसमें खाता संख्या–30 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।
3. अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा अपने अंतिम आदेश में उल्लेखित किया है कि–" ह0 रा0 कर्म0/अं0 नि0 के प्रतिवेदनानुसार ग्राम–घटधारी जमाबंदी पंजी 2 पृष्ट संख्या–41/1, 18/1, 22/1, 26/1 एवं 28/1 का बकाया लगान वसूल करने की स्वीकृति दी जाती है। ह0 रा0 कर्म0 को आदेश निर्गत करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन की मांग कर लें।" परन्तु निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न ज्ञापांक–307, दिनांक–18.11.09 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रमांक–06 पर कारू मियॉ, **पंजी–2 पृष्ठ संख्या–32/1**, खाता संख्या–30, रकवा–15.39 एकड़ भूमि का भी जमाबंदी रैयतों के नाम से बकाया लगान वसूल कर लगान रसीद निर्गत करने का आदेश राजस्व कर्मचारी, श्री निर्मल टोपनो को दिया गया है। चूँकि खाता संख्या–30 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है तथा आदेश पत्रक में **पंजी–2 पृष्ठ संख्या–32/1 का उल्लेख नहीं किया गया है**

परन्तु बकाया लगान वसूल कर रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया है, जो संदेहात्मक प्रतीत होता है एवं अंचल अधिकारी, हण्टगरंज द्वारा संबंधित तथ्य को गंभीरता से नहीं लिया गया।

4. अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा इस वाद के द्वितीय पक्ष के संदर्भ में आदेश पत्रक में उल्लेखित किया गया है कि–" सरकारी रसीद वर्ष 200–01 तक निर्गत। लगान पंजी–2 में तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा स्थगित है।" परन्तु अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस परिस्थिति/प्रक्रिया के तहत् स्थगित है। **अंचल अधिकारी, हण्टरगंज स्पष्ट करेंगे कि पूर्व में जमाबंदी स्थगित क्यों की गई थी?**

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को आदेश दिया जाता है कि पुनः संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए अलग–अलग प्रकार एवं किस्म की भूमि के लिए आदेश विधिसम्मत्/नियमसंगत पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, हण्टगरंज को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

22/2/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

22/2/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.03 09:04:56 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9

17 Misc